रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042021-226775 CG-DL-E-27042021-226775

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236] No. 236] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 2021/वैशाख 7, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 2021/VAISAKHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2021

सं. 26/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 294 (अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिशमन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "1-फेनाइल-3-मेथाइल-5-पाइराजोलोन" (एतिश्मन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 2933 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/32/2019-डीजीटीआर, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, जिसे दिनांक 13 अप्रैल, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने प्रारंभिकीकरण निष्कर्षों में विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी।

और जहां कि विनिर्दिष्ट पदाधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2020- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 9 जून, 2020, जिसे सा.का.नि

2409 GI/2021 (1)

363 (अ) दिनांक 9 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाया था।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/32/2019-डीजीटीआर, दिनांक 28 जनवरी, 2021, जिसे दिनांक 28 जनवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।, खंड। में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अपने प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपृष्टि करते हुए, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

- (i) पिछले वर्ष की तुलना में इस जांच अवधि के दौरान, विषयगत देश से विषयगत वस्तु के आयात में निरपेक्ष रूप से और साथ ही साथ भारत में इसके उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है;
- (ii) विषयगत देश से भारत को इस प्रश्नगत उत्पादत का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;
- (iii) इसके घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iv) यह सारवान क्षति विषयगत देश से होने वाले विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस सारवान क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पिटत उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतत्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविश्ष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्सम्बन्धी प्रविश्वि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है पर, कॉलम (7) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि और माल के अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर तथा कॉलम (9) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, बशर्ते कि अवतरण मूल्य उक्त सारणी के कॉलम (7) यथा विनिर्दिष्ट राशि से कम हो, यथा -

शल्क सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन वाला देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1.	2933	1-फेनाइल-3- मेथाइल-5- पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	4.89	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर			
2.	2933	1-फेनाइल-3- मेथाइल-5- पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	4.89	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर			

3.	2933	1-फेनाइल-3- मेथाइल-5- पाइराजोलोन	चीन जनवादी गणराज्य से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	4.89	किलोग्राम	अमेरिकी डॉलर
----	------	--	---	-----------------------	--------	------	-----------	-----------------

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की तारीख अर्थात 9 जून, 2020 से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क को अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के समाप्त होने की तारीख अर्थात 9 दिसम्बर, 2020 से, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के एक दिन पूर्व तक, नहीं वसूला जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वहीं दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (एतिश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

स्पष्टीकरण 2 – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए आयात का अवतरण मूल्य वह आंकलन योग्य मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा शुल्क के द्वारा किया गया हो और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सीमा शुल्क के अन्य स्तर पर लागू होता हो।

[फा. सं. 354/52/2020 –टीआरयू)]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2021

No. 26/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 294(E).—Whereas, in the matter of 'l-Phenyl-3-Methyl-5-Pyrazolone' (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff heading 2933 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from the People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its preliminary findings *vide* notification No. 6/32/2019-DGTR, dated the 13th April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th April, 2020, had recommended imposition of provisional anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country.

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed provisional anti-dumping duty on the subject goods with effect from 9th June, 2020 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2020-Customs (ADD), dated the 9th June, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 363(E), dated the 9th June, 2020.

And, whereas, the designated authority in its final findings *vide* notification No. 6/32/2019-DGTR, dated the 28th January, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th January, 2021, while confirming the preliminary findings, dated the 13th April, 2020, has come to the conclusion that-

- (i) there is substantial increase in imports of subject goods from the subject country in absolute terms as well as in relation to its production & consumption in India, during the period of investigation as compared to the previous year;
- (ii) the product under consideration has been exported to India from the subject country below the normal value;

- (iii) the domestic industry has suffered material injury;
- (iv) material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country;

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty equal to the difference between the amount as specified in the corresponding entry in column (9) and the landed value of the goods, in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8), provided that the landed value is less than the amount indicated in column (7) of the said Table, namely:-

Producer S. No. Tariff **Description** Country of Unit Country of **Amount** Currency heading of goods origin export **(3) (4) (1) (2) (5) (6) (7)** (8)(9)1. 2933 1-phenyl-3-China PR China PR 4.89 Kg USD Any methyl-5pyrazolone 2. 2933 1-phenyl-3-China PR 4.89 Kg **USD** Any, other Any methyl-5than China pyrazolone PR 3. 2933 1-phenyl-3-Any, other China PR Any 4.89 Kg USD methyl-5than China pyrazolone PR

TABLE

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of imposition of the provisional anti-dumping duty, that is, the 9th June, 2020, and shall be payable in Indian currency:

Provided that the said anti-dumping duty shall not be levied for the period commencing from the date of the lapse of the provisional anti-dumping duty, that is, the 9th December, 2020, upto the preceding day of the publication of this notification in the Official Gazette.

Explanation 1.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the Customs Act), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

Explanation 2.- The landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the customs under the Customs Act and applicable level of custom duties except duties levied under sections 3, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act.

[F.No. 354/52/2020-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.